उद्योगों को प्रदूषण की एनओसी के लिए अब करनी होगी ज्यादा जेब ढीली

शोभित श्रीवास्तव ● जागरण

- लाल रंग के उद्योगों को सर्वाधिक व हरे रंग वालों को सबसे कम पड़ेगा शुल्क
- उद्योगों को आरंभिक शुल्क के बराबर ही हर वर्ष देना होगा नवीनीकरण शुल्क

लखनऊ : उद्योगों को अब प्रदूषण की एनओसी व सहमति पत्र लेने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। यह बढ़ोतरी उद्योगों की श्रेणी के अनुसार ढाई से तीन गुणा तक होने जा रही है। लाल रंग वाले उद्योगों को सबसे अधिक व हरे रंग वाले उद्योगों को सबसे कम शुल्क देना होगा। बढ़ोतरी की मार उन्हें हर वर्ष झेलनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक उद्योगों को आरंभिक शुल्क के बाद हर वर्ष उसका आधा ही नवीनीकरण शुल्क देना पड़ता था, किंतु अब उन्हें हर वर्ष आरंभिक शुल्क के बराबर ही नवीनीकरण शुल्क देना पड़ेगा।

उद्योगों को हर वर्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति लेनी पड़ती है। बोर्ड पहली बार उद्योगों को लाल, नारंगी व हरा श्रेणियों में बांटकर अलग-अलग एनओसी का शुल्क लगाने जा रहा है। चूंकि लाल रंग के उद्योग सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उनका शुल्क सबसे अधिक होगा। नारंगी वाले उद्योग लाल रंग से कम प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उनका शुल्क कम होगा। हरे रंग वाले उद्योग सबसे कम प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उनका शुल्क सबसे कम होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश (वायु निवारण और नियंत्रण) नियमावली में संशोधन करने की तैयारी है। 17 वर्ष बाद शुल्क में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।

--

एक हजार करोड़ से अधिक वाले उद्योगों का अब एक ही स्लैब

निवेश के आधार पर उद्योगों के 12 स्लैब घटाकर अब सात प्रस्तावित हैं। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले उद्योगों का तीन के बजाय अब एक स्लैब होगा। अभी एक हजार करोड़ रुपये से पांच हजार करोड़ रुपये तक के उद्योगों के लिए आरंभिक शुल्क 2.50 लाख व वार्षिक नवीनीकरण शुल्क 1.25 लाख रुपये होता है। पांच हजार करोड़ से 10 हजार करोड़ तक के उद्योगों का आरंभिक शुल्क पांच लाख व सालाना शुल्क 2.50 लाख, 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक वाले उद्योगों को पहले वर्ष में 10 लाख व उसके बाद प्रति वर्ष पांच लाख देने होते हैं। इन तीनों श्रेणियों को हटाकर अब एक हजार करोड़ से अधिक वाले उद्योगों की एक ही श्रेणी बना दी गई है। हरे श्रेणी के उद्योगों को पांच लाख, नारंगी को 5.75 लाख व लाल श्रेणी के उद्योगों को 6.50 लाख रुपये प्रति वर्ष देने होंगे। वहीं, एक करोड़ से कम वाले उद्योगों के चार स्लैब को घटाकर एक किया गया है।

श्रेणीवार उद्योगों के लिए अनापत्ति व सहमति शुल्क

वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क (रुपये में)				
पूंजीगत निवेश	आरंभिक शुल्क	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	हरा	नारंगी	लाल
एक से पांच हजार करोड़ तक	2.50 लाख	1.25 लाख	5 लाख	5.75 लाख	6.50 लाख
500 से एक हजार करोड़ तक	1.50 लाख	75 हजार	1.50 लाख	1.72 लाख	1.95 लाख
250 से 500 करोड़ तक	1 लाख	50 हजार	1 लाख	1.15 लाख	1.30 लाख
50 से 250 करोड़ तक	75 से एक लाख	35 हजार से 50 हजार तक	75 हजार	86 हजार	97 हजार
10 से 50 करोड़ तक	50 हजार	25 हजार	50 हजार	58 हजार	65 हजार
एक से 10 करोड़ तक	20 हजार	10 हजार	20 हजार	23 हजार	26 हजार
एक करोड़ से कम-तीन हजार तक		1500 तक	5 हजार-7500		10 हजार